

परिशिष्ट
(देखिये नियम-6)

राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव- प्रधान ग्राम सड़क योजना फेज -XI के अन्तर्गत नगोंणगांव से कुर्सिल मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
- ख) 1:50,000 स्केल में पर वन भूमि - 1.50000 का मानचित्र संलग्न है।
और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मेंप।
- ग) परियोजना की लागत। - 489.22 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने - अन्य समरेखण से मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं
का औचित्य। है।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये - संलग्न है।
जाने के लिए)
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की - क्षेत्र में अस्थाई रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा एवं
संभावना। क्षेत्र में उपज का मूल्य बाजार दर पर मिलेगा, तथा क्षेत्र में यातायात का लाभ मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार -
विवरण।
- | | | |
|----|--------------------|-------------------|
| 1- | आरक्षित वन भूमि | -0.513 है० |
| 2- | सिविल सोयम भूमि | -0.616 है० |
| 3- | वन पंचायत भूमि | -0.00 है० |
| | कुल वन भूमि | -1.129 है० |

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का -
विवरण, यदि कोई है।

क) परिवारों की संख्या - शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या - शून्य

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए) - शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,
1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हाँ/नहीं) - नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके - क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम संलग्न है। एवं पुनः वनीकरण की
की वचनबद्धता संलग्न है।

अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता
(वचनबद्धता संलग्न की जाये)

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित - निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।
प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

दिनांक 26-01-2014

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान पुरोला

प्रस्ताव की क्रम संख्या

प्राप्ती की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा

(यु.सि.व. अग्रणी)
कनिष्ठ अभियन्ता

सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०

पुरोला, उत्तरकाशी

(यु.सि.व. अग्रणी)
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पुरोला (उत्तरकाशी)
उत्तरकाशी

(यु.सि.व. अग्रणी)
अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पुरोला, उत्तरकाशी

प्रस्ताव की क्रम संख्या

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद उत्तरकाशीमें पी0ए0जी0एस0वाई0 के अर्न्तगत नगोंगगांव से कुर्सिल मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई. 10.375 कि0मी0
i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	- उत्तराखण्ड राज्य सरकार
ii) जिला	- उत्तरकाशी
iii) वन प्रभाग	- यमुना वन प्रभाग वडकोट
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	- आरक्षित भूमि -0.513है0 सिविल सोयम -0.616है0 वन पंचायत भूमि -0.000है0 कुल वन भूमि -1.129है0
v) वन की कानूनी स्थिति	- सिविल सोयम, वन पंचायत भूमि
vi) हरियाली का घनत्व है	- 4
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जा)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	- मोटर मार्ग के निर्माण में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी सूची संलग्न है।
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	- संलग्न है
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	- अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन की सीमा से दूरी =
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य - जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वर्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)	- नहीं
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	- नहीं
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	- नहीं
8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	- मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, प्रतावक विभाग द्वारा दर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी	- निजी (वन अधिनियम का उलंघन नहीं है)

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद उत्तरकाशीमें पी0ए0जी0एस0वाई0 के अर्न्तगत नगोंगगांव से कुर्सिल मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई. 10.375 कि0मी0
i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	- उत्तराखण्ड राज्य सरकार
ii) जिला	- उत्तरकाशी
iii) वन प्रभाग	- यमुना वन प्रभाग वडकोट
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	- आरक्षित भूमि -0.513है0 सिविल सोयम -0.616है0 वन पंचायत भूमि -0.000है0 कुल वन भूमि -1.129है0
v) वन की कानूनी स्थिति	- सिविल सोयम, वन पंचायत भूमि
vi) हरियाली का घनत्व है	- 14
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जा)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	- मोटर मार्ग के निर्माण में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी सूची संलग्न है।
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	- संलग्न है
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	- अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन की सीमा से दूरी =
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य - जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीछोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)	- नहीं
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	- नहीं
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	- नहीं
8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	- मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, प्रतावक विभाग द्वारा दर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी	- निजी (वन अधिनियम का उलंघन नहीं है)

अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या,

आरक्षित वन भूमि से लगभग कि० मी० की दूरी पर स्थित है। 1.50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है। प्रतिपूरक वनीकरण में किया जाना प्रस्तावित है।

ii. प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

1.50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है।

iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।

iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

चयनित प्रजातियां प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उचित चयन की गयी है, तथा हस्ताक्षरित है।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

- संलग्न है।

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

i. जिले का भौगोलिक क्षेत्र। -

है० ११२७९.७०७

ii. जिले का वन क्षेत्र। -

है० ८९३७९.७११

iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। -

है०

iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

है० ५२ प्रभाग ८१.५४६

(क) वण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर 144.27 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर 139.02 - है०

(ख) वनेत्तर भूमि पर - है०

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। -

दिनांक 15-03-14

स्थान (अ.स.क.)

हस्ताक्षर (अ.स.क.)

नाम प्रशासनिक वनीकरण

वर वन प्रभाग
सरकारी मोहर

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

कार्य का नाम- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज XI के अन्तर्गत नगाणगांव से कुर्सिल मोटर मार्ग (लम्बाई 10.375किमी) के निर्माण हेतु 1.129 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य प्रत्यावर्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक - 20 मई 2014
स्थान - देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम - (आर०के०मिश्र)
वन संरक्षक,

यमुना नदी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
उत्तराखण्ड